अनवान .... बनाम ....

प्रकरण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा ....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
7/12/22	वादी अधिवक्ता उपस्थित। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ शामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13/12/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	मौके का प्रस्ताव स्वीकार (हस्ताक्षर) विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री बनाया [?] जावे कोई एतराज नहीं (हस्ताक्षर)
13/12/22	वादी अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र TDR KPR से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आदेश की जारी हो। पत्रावली [illegible] जाकर नम्बर से [illegible] (हस्ताक्षर)	
14/12/22	वादी अधिवक्ता उपस्थित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 153/2021

वादीगण

1. गुरमीत सिंह पुत्र चरणजीत सिंह उम्र 36 वर्ष जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. चरणजीत सिंह पुत्र मुंशी सिंह उम्र 57 वर्ष जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. हरविलास सिंह पुत्र मुंशी सिंह उम्र 55 वर्ष जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. हाकम सिंह पुत्र खेता सिंह जाति जटसिख निवासी वी.पी.ओ भागसर नहर गुरूद्वारा के पास कपूरपति तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
2. सुखमन्दर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख निवासी वी.पी.ओ भागसर नहर गुरूद्वारा के पास कपूरपति तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
3. सुखदेव कौर पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख निवासी वी.पी.ओ भागसर नहर गुरूद्वारा के पास कपूरपति तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
4. निरंजन सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर
5. नर सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. गुरतेज सिंह पुत्र तारा सिंह जाति तरखान निवासी 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. जगदेव सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं0 328 होमलैण्ड सिटी फर्स्ट पी.ओ. 4 एम.एल. नीमावाली
8. नरेन्द्र कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नं0 328 होमलैण्ड सिटी फर्स्ट पी.ओ. 4 एम.एल. नीमावाली
9. परमजीत सिंह पुत्र बिकर सिंह जाति जटसिख निवासी वी.पी.ओ भागसर नहर गुरूद्वारा के पास कपूरपति तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
10. रतनदीप सिंह पुत्र बिकर सिंह जाति जटसिख निवासी वी.पी.ओ भागसर नहर गुरूद्वारा के पास कपूरपति तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
11. लखविन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख निवासी वी.पी.ओ भागसर नहर गुरूद्वारा के पास कपूरपति पंजाब। -मृतक

    11/1 गुरप्रीत सिंह पुत्र लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख [illegible] गुरूद्वारा के पास कपूरपति तहसील व जि[illegible]ाब।

    11/2 [illegible] निवासी [illegible]भागसर नहर [illegible]द्वारा के पास कपूरपति [illegible]

12. जसवन्त [illegible] जटसिख निवासी वी.पी.ओ भागसर नहर गुरूद्वारा के पास कपूरपति तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
13. प्रीतपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी वी.पी.ओ भागसर नहर गुरूद्वारा के पास कपूरपति तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
14. बलदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी वी.पी.ओ भागसर नहर गुरूद्वारा के पास कपूरपति

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

	तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
	15. समिन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी वी.पी.ओ भागसर नहर गुरूद्वारा के पास कपूरपति तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।
	16. सरजीत कौर पत्नी मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एन एन चानणाधाम तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
	17. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 10.12.2021

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग अधिवक्ता वादीगण

2. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6

--निर्णय-- **दिनांकः 13.12.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 48 जी जी तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 44 के मु0नं0 10 के किला नं0 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 25 प्रत्येक सालम-सालम व मु0नं0 15 के किला नं0 1 में 0.227 है0, किला नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रत्येक सालम-सालम, किला नं0 10 व 11 प्रत्येक के 0.227 है0, किला नं0 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्रत्येक सालम-सालम, किला नं0 20 के 0.227 है0, किला नं0 21 के 0.202 है0, किला नं0 22 के 0.228 है0, किला नं0 23 के 0.228 है0, किला नं0 24 के 0.228 है0, किलानं0 25 के 0.228 है0 एवं मु0नं0 16 के किला नं0 1 ता 20 प्रत्येक सालम-सालम, किला नं0 21, 22, 23, 24 प्रत्येक के 0.227 है0, किला नं0 25 में 0.228 है0, मु0नं0 74/7 के किला नं0 0 में 0.126 है0 गैर मुमकिन खाल एवं मु0नं0 74/8 के किला नं0 0 में 0.253 है0 गैर मुमकिन खाल खाता का कुल क्षेत्रफल 15.428 है0 मय खाल एवं इसी चक के खाता संख्या 33 के मु0नं0 11 के किला नं0 1 ता 19 प्रत्येक सालम-सालम कुल 4.807 है0 नहरी भूमि एवं इसी चक के खाता संख्या 28 के मु0नं0 11 के किला नं0 20 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम व मु0नं0 12 के किला नं0 1 ता 12 प्रत्येक सालम-सालम, किला नं0 13/1 में 0.126 है0 कुल 4.680 है0 भूमि उक्त तीनों खातों में वादी संख्या 1 गुरमीत सिंह के नाम खाता संख्या 44 में 759/7714 हिस्सा व वादी संख्या 2 चरणजीत सिंह के नाम खाता संख्या 44 में 421/7714 हिस्सा व खाता संख्या 28 में 253/4680 हिस्सा तथा खाता संख्या 33 में 802/4807 हिस्सा व वादी संख्या 3 हरविलास सिंह के नाम खाता संख्या 44 में 421/7714 हिस्सा व खाता संख्या 28 में 253/4680 हिस्सा व खाता संख्या 33 में 801/4807 हिस्सा भूमि मुश्कतर्का खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त तीनों खातो की भूमि मुश्तर्का खाता में दर्ज हैं। काश्तकारों ने काश्त की सहुलियत से मौखिक बंटवारनामा किया हुआ है। प्रत्येक खातेदार का अपने-अपने हिस्सा के अनुसार अपनी-अपनी भूमि पर बंटवारानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित संयुक्त खाता की भूमि में से वादी संख्या 1 गुरमीत सिंह के कब्जा काश्त में चक 48 जी जी तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 44 के मु0नं0 10 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21, 22 प्रत्येक सालम-सालम कुल 1.518 है0 नहरी भूमि यानि 6 बीघा नहरी भूमि है। उक्त भूमि वादी संख्या 1 को घरू बाहमी [illegible] में प्राप्त हुई है। वादी संख्या 2 चरणजीत सिंह व 3 हरविलास सिंह को घरू बाहमी [illegible] में चक 48 जी जी तहसील श्रीकरनपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 33 के मु0नं0 11 के किला नं0 5, 6, 14, 15, 16, 17, 24, 25 प्रत्येक सालम-सालम [illegible] किला नं0 7 में 0.101 है0 भूमि (दक्षिणी हिस्सा किला [illegible] 14 के [illegible]) कुल 2.125 है0 भूमि एवं खाता संख्या 44 के मु0नं0 16 के किला नं0 3, 8, 13, 12, [illegible] प्रत्येक सालम-सालम व किला नं0 22 में 0.227 है0 व किला नं0 18 में 0.076 है0 (उतरी हिस्सा किला नं0 13 के साथ चिपता) किला नं0 9 में 0.076 है0 (दक्षिणी हिस्सा किला नं0 12 के साथ चिपता) व मु0नं0 74/7 के किला नं0 0 में 0.026 है0 गैर मुमकिन खाला इस प्रकार 1.670 है0 नहरी मय खाला भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 12 लखविन्द्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा उक्त प्रतिवादीगण के स्थान पर उसके वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

को दावा में बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। वादाधीन भूमि संयुक्त खाता की भूमि है और भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट चुकी है इस कारण भूमि की काश्त करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, सिंचाई करने, गिरदारी व लगान आदि के बाबत् व रस्ता के बाबत् भारी असुविधा होती है और परेशानी बनी रहती हैं। जब तक संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् रूप से बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक संयुक्त खाता की भूमि का प्रत्येक इंच पर, प्रत्येक सहखातेदार का बहिस्सा बराबर कब्जा माना जाता है। इसलिए इस परेशानी का एक मात्र उपाय यह है कि माननीय न्यायालय में विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत करके संयुक्त खाता की भूमि का विधिवृत बंटवारा करवाया जाकर विभाजन की डिक्री प्राप्त की जावे। इस कारण वादीगण वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। वादीगण दिनांक 01.12.2021 को प्रतिवादीगण से मिले व संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण वादाधीन भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण को प्राप्त भूमि का खाता व लगान वादी के नाम अलग से कायम कर राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर को आदेशित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 7 ता 16 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाव बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5, 7 ता 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। प्रतिवादी संख्या 6 का जवाबदावा बन्द है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण 5.311 हेक्टैयर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 48 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 10, 15, 16, 74/7,74/8 की कुल 15.428 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 11,12 की कुल 4.680 हेक्टैयर भूमि तथा खाता संख्या 33/33 के मुरब्बा नम्बर 11 की 4.807 हेक्टैयर भूमि वादीगण के हिस्सा में 5.311 हेक्टैयर भूमि जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से मे भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे तथा शेष खाता बदस्तूर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री क्रिया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:2
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 48 जीजी, पटवार हल्का 48 जीजी श्रीनगर, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा के खाता संख्या 44/44 के मुरब्बा नम्बर 10, 15, 16, 74/7,74/8 की कुल 15.428 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 28/28 के मुरब्बा नम्बर 11,12 की कुल 4.680 हेक्टैयर भूमि तथा खाता संख्या 33/33 के मुरब्बा नम्बर 11 की 4.807 हेक्टैयर भूमि में वादीगण के हिस्सा में 5.311 हेक्टैयर का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गुरमीत सिंह पुत्र चरणजीत सिंह उम्र 36 वर्ष जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर(1.518 हेक्टेयर)	48 जीजी	10	1 10,11 20,21,22	0.253 हेक्टैयर 0.506 हेक्टैयर 0.759 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी	
2	चरणजीत सिंह पुत्र मुंशी सिंह उम्र 57 वर्ष जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। हरविलास सिंह पुत्र मुंशी सिंह उम्र 55 वर्ष जाति जटसिख निवासी श्रीनगर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। (3.795 हेक्टैयर)	48 जीजी	11 16 74/7	5,6 14 ता 17 24,25 7 3,8 12,13,19 22 18 9	0.506 हेक्टैयर 1.012 हेक्टैयर 0.506 हेक्टैयर 0.101 हेक्टैयर 0.506 हेक्टैयर 0.759 हेक्टैयर 0.227 हेक्टैयर 0.076 हेक्टैयर 0.076 हेक्टैयर 0.026 हेक्टैयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा	

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर